

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 23.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—08 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151 / 107 / 116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम बरन पुत्र छेदी नि0 पृथ्वीपालगंज ग्रन्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—78 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम सनेही पुत्र कल्पनाथ नि0 गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—93 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गणेश पुत्र सीताराम नि0 अचल नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—87 / 21, 02. इन्सानुउल्ला उर्फ डाङू पुत्र मो0 शरीफ उर्फ छोटे नि0 सोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—88 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामवचन पुत्र रामपदारथ नि0 ककरघटा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—99 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्रवण कुमार पुत्र छन्नू नि0 ककरहवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—125 / 21, धारा 60 आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कर्नलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेश कुमार यादव पुत्र राम करन यादव नि0 चंगेरिया थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0—126 / 21, 02. कंशू पुत्र मातादीन नि0 काशीपुर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0—127 / 21, धारा 60 / 60(2) आबकारी अधिरो के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रिन्कू यादव पुत्र गप्पू लाल यादव नि० रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोणडा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 400 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नौशादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद मु०अ०सं०—५९/२१, धारा 60/60(2) आबकारी अधि०, 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

08. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम भवन निषाद पुत्र पुन्नी निषाद नि० देर्इपुर थाना नवाबगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10.5 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—८९/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नानबाबू उर्फ स्वामीनाथ पुत्र भुनेश्वर राणा नि० नरायनपुर थाना तरबगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—८१/२१, 02. अर्जुन गौतम पुत्र मायादीन गौतम निवासी बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—८२/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बलराम पुत्र रामनाथ निवासी सोहना थाना वजीरगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१०४/२१, 02. ननकन पुत्र रामतेज निवासी बंधवा थाना वजीरगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१०५/२१, 03. चेतराम पुत्र मनीराम निवासी सोहनी थाना वजीरगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—१०६/२१, 04. ऐवन पुत्र बलराज निवासी मीरनगंज थाना को०देहात जनपद गोणडा के कब्जे से 19 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—१०८/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. इसर पुत्र हाजी अब्दुला रहमान निवासी खेमपुर नसीरपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोणडा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—९९/२१, 02. सुखराजा पत्नी स्व० कैलाश नि० कलहंसन पुरवा मौजा सहेरिया कला थाना कौड़िया जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—४८/२१, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

12. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्याम किशोर पुत्र महराजदीन निवासी दुबहा बाजार थाना कौड़िया जनपद गोणडा, 02. छेददन पुत्र रमेश निषाद निवासी राजगढ थाना कटरा बाजार जनपद गोणडा के कब्जे से 40 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—४७/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

13. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामदीन पुत्र बेकारु निवासी खैरी थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—215/21, 02. राजेन्द्र पुत्र कल्लू प्रसाद निवासी कोरीपुरवा उम्मेदजोत थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—216/21, शिव नन्दन उर्फ बिहारी पुत्र स्व०महेश कुमार निवासी राधेपुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—217/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने जानलेवा हमला करने के 02 आरोपी अभियुक्तो—01. सावली प्रसाद पुत्र लक्ष्मी नारायण, 02. बिन्देश्वरी पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासीगण नकही थाना कटराबाजार जनपद को थाना कटराबाजार में पंजीकृत मु०अ०सं०—98/21, धारा 147.149.323.307.308.506.427 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तों ने वादी शिवधर दुबे पुत्र रामसहाय दुबे नि० नकही थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के भाई के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए मारा—पीटा था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

140 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद, 04 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. सूबेदार सिंह पुत्र रामफेर सिंह नि० ग्राम बांसगाव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
02. श्रीचन्द्र पुत्र दुखराज नि० ग्राम बांसगाव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
03. करिया पुत्र शम्भू कोरी नि० ग्राम बांसगाव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।
04. नन्हके पुत्र मंगेर कोरी नि० ग्राम बांसगाव थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—60/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० व 272 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 140 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।
02. 300 ग्राम नौसादर, 200 ग्राम यूरिया।
03. शराब बनाने के उपकरण।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अवैध कच्ची शराब के परिवहन, विक्री व निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री शैलेश कुमार पाण्डेय ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को अपने—अपने थाना क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, परिवहन व बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 140 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, शराब बनाने के उपकरण बरामद कर किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को थाना परसपुर में आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
02. उ0नि0 रणजीत यादव।
03. हे0का0 अजय कुमार पाण्डेय।
04. का0 उमेश चन्द्र गुप्ता।
05. का0 सत्येन्द्र कुमार।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सर्वेश तिवारी पुत्र शम्भू तिवारी नि0 जूड़ी कुइया त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—79 / 21, धारा 3 / 25 आर्स एकट थाना धानेपुर जनपद गोणडा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 23.03.2021 को थाना धानेपुर के उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय उ0नि0 राम आशीष मौर्या के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को उत्तरौला हाइवे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना धानेपुर में आर्स एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
02. उ0नि0 राम आशीष मौर्या।